

विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत ठांगधार - थौलधार मोटर मार्ग का नव निर्माण

सन्दर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी के पत्रांक 45/12-1 (2) नई टिहरी दिनांक 26.02.2019 के कम में।

उपरोक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 89/लो0नि0-1/ 2004 -06 (प्रा0आ0)/2004 दिनांक 6.2.2004 के द्वारा 10.00 किमी० लम्बाई लागत रु. 139.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है।

यह मार्ग चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के चम्बा से मसूरी की ओर किमी० 15 से प्रारम्भ होता है। मार्ग ठांगधार नामक स्थान से प्रारम्भ होकर थौलधार नामक स्थान पर समाप्त होता है, इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.775 किमी० है। यह मोटर मार्ग बरवालगांव-क्यूलागी-नैर कैथोगी ग्रामों को जोड़ता है जिससे तीनों गांव की कुल 1226 की आबादी लाभान्वित होगी।

इस मार्ग का प्रारम्भिक 0.500 किमी० का भाग वन विभाग द्वारा लगभग 3 मीटर चौड़ाई में निर्मित है जो कि आगे वाल्काखाल नामक स्थान पर मिलता है, प्रारम्भ के 0.50 किमी० के पश्चात यह मोटर मार्ग नव निर्माण में निर्मित होना है। KML File में प्रदर्शित हो रहा मार्ग प्रथम 0.500 किमी० वन विभाग द्वारा निर्मित मार्ग प्रदर्शित हो रहा है तथा अवशेष भाग ठांगधार-थौलधार का कच्चा पैदल मार्ग है जिसकी चौड़ाई 1.50 से 2.00 मीटर के मध्य है। यह पैदल मार्ग वाहनों के आवागमन हेतु उपयुक्त नहीं है।

उक्त मोटर मार्ग से बरवालगांव, क्यूलागी तथा नैर कैथोगी चक के स्थानीय ग्रामीण लाभान्वित होंगे जिनकी सुविधा हेतु इस मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में थौलधार-बरवालगांव, क्यूलागी के लोगों को जिला मुख्यालय आने हेतु 52 किमी० की लम्बी दूरी तय करने पड़ती है, इस मार्ग के बनने से मात्र 33 किमी० की दूरी तय करने के पश्चात जिला मुख्यालय पहुंचा जा सकेगा। क्यूलागी तथा नैर कैथोगी के ग्रामवासियों को मुख्य सड़क तक पहुंचने हेतु लगभग 4-5 किमी० की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, तत्पश्चात मोटर मार्ग से दूरी तय की जाती है। इस मार्ग के बनने से पैदल दूरी समाप्त होने के साथ ही कम दूरी तय कर जिला मुख्यालय तथा अन्य जरूरत के स्थानों पर पहुंचा जा सकेगा, साथ ही साथ इस मार्ग के बनने से धनौल्टी विधानसभा के थौलधार, कमान्द, लेंगर्थ आदि का एक बहुत बड़ा भू भाग कम दूरी तय कर जिला मुख्यालय तथा प्रदेश की राजधानी देहरादून पहुंच सकेंगे जिससे इन क्षेत्रों में होने वाली नकदी फसल, का उचित मूल्य कारस्त्कारों को मिल सकेगा तथा एक बड़े क्षेत्र को कम दूरी में चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस मार्ग के नव निर्माण से क्षेत्र के समुचित विकास के साथ-साथ स्थानीय जनता लाभान्वित होगी तथा क्षेत्रवासियों को यातायात की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मार्ग निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी आवश्यक एवं न्यूनतम है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.275 कि.मी. लम्बाई में आरक्षित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.9925 हे०, तथा 3.500 कि.मी. लम्बाई में नाप भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.45 हे० है, की आवश्यकता है।

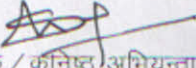
प्रस्ताव में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु मार्ग की चौड़ाई 7.00 मीटर ली गयी है तथा प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के साथ सिविल सोयन भूमि एवं नाप भूमि में स्थित कुल 456 वृक्ष प्रभावित होंगे। इस क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। अन्य विकल्पों का निरीक्षण करने के पश्चात यह पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि अधिक आने के साथ ही मार्ग की लम्बाई भी अधिक होगी।

मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है—

क0सं0	ग्राम	कोड	आवादी
1	बरवालगांव	003999200	425
2	क्यूलागी	00399300	739
3	नैर कैथोगी चक	00397900	62

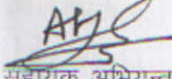
मार्ग पर पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल — 2.9925 हे0 (लम्बाई 4.275 कि0मी0)
- 2 नाम भूमि का क्षेत्रफल — 2.45 हे0 (लम्बाई 3.500 कि0मी0)


अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

चम्बा।


सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

चम्बा।

वन क्षेत्राधिकारी

टिहरी राजि0


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा
टिहरी गढवाल।

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
गई टिहरी।